संख्या-4/2018/13(1)2018/का-1/2018

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2018

विषय:- दिनांक 28.02.2018 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी देयकों का भुगतान दिनांक 31.03.2018 तक सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

दिनांक 28.02.2018 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी देयकों (उन मामलों को छोड़कर, जिनमें विभागीय कार्यवाही अथवा मा0 न्यायालय में वाद चल रहे हों) का भुगतान सुनिश्चित कराकर दिनांक 31.03.2018 तक इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ।

2- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन विभागों में उपर्युक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समेकित सूचना दिनांक 02.04.2018 तक इस आशय के प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि दिनांक 28.02.2018 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी देयकों (उन मामलों को छोड़कर, जिनमें विभागीय कार्यवाही अथवा मा0 न्यायालय में वाद चल रहे हों) का भुगतान कर दिया गया है ।

3- कृपया उपर्युक्त का अभियान चलाकर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in